हरियाणा राज्य

बनाम

सुरेश

5 जून 2007

(डॉ. अरिजित पसायत और डी.के. जैन, जे.जे)

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985

धारा 50 – "किसी व्यक्ति की तलाशी का दायरा और परिधि जिसका अर्थ निर्धारित किया एक थैला, छोटा ब्रीफकेश कोई पात्र को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य के शरीर के रुप में नहीं माना जा सकता है- इसलिए. इन वस्तुओ को धारा 50 मे उल्लेखित "व्यक्ति के दायरे मे शामिल नही किया जा सकता है। - कानूनो की व्याख्या ।

कानूनो की व्याख्याः-

शाब्दिक वाख्याः- यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब वह नही है जो वे कहते हैं, यह उस पक्ष पर भारी पडता है जो ऐसा आरोप लगाता है- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 धारा-50 सहपठित धारा 18,

शब्द और वाक्यांशः-

'व्यक्ति 'और धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 मे जैसा बताया गया है- संकेतार्थ

प्रतिवादी को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। अभियोजन के मामले मे, गश्ती दल ने अफीम से भरा एक प्लास्टिक बैग अभियुक्त के अटैची-कैस से बरामद किया । अभियुक्त की अपील पर, उच्च न्यायालयो ने अधिनियम की धारा-50 की अनिवार्य आवश्कयकताओं का अनपुलान नही करने के आधार पर बरी करने का निर्देश दिया ।

राज्य द्वारा दायर तत्काल अपील मे,अपीलार्थी के लिये यह तर्क दिया गया था कि उच्चतम न्यायालय के फैसलो पर ध्यान देने मे विफल रहा कि अधिनियम की धारा-50 का संबंध केवल व्यक्ति की तलाशी से है न कि अभियुक्त द्वारा ले जाये जा रहे थैले या पात्रो से ।

सवालो के बारे में धारा-50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 मे वर्णित " व्यक्ति की तलाशी शब्दो का अर्थ है-

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए, अदालत ने निर्णित किया-

1.1 एक थैला, ब्रीफकैस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि, किसी भी परिस्थिति में, मनुष्य के शरीर के रुप में नहीं माना जाना चाहिए। उन्हे एक अलग नाम दिया जाता हैं। और इस तरह से पहचाने जाने योग्य हैं। उन्हे दूर से भी मनुष्य के शरीर का हिस्सा नही माना जा सकता हैं।

इसलिए, इन वस्तुओ को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 की धारा-50 में वर्णित "व्यक्ति शब्द के दायरे मे शामिल करना संभव नहीं है। { पैरा 14 }{966 सी डी ई }

पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [1999] 6 एस. सी. सी. 172 अनुसरण किया ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार [2005] 4 एस. सी. सी. 350, निर्भर किया ।

1.2. कानूनों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धान्तो में से एक है कि – शब्दों के सरल, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार निकालें। यदि वह किसी वक्त आशय या घोषित उदेश्य के विपरित या उससे असंगत है या यदि इसमें कोई बेतुकापन, प्रतिकुलता या विसंगति है तो जहां तक ऐसी असुविधा से बचने के लिये व्याकरणिक अर्थ को संशोधित,विस्तारित या संक्षिप्त किया जाना चाहिए। लेकिन इससे आगे नही । यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब वह नही है जो व कहते है, बहुत हद तक उस पक्षकार पर है जो आरोप लगाता है। [पैरा 12] [965- ई,एफ]

जुगलकिशोर सराफ बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, ए . आई . आर. (1955) एस. सी. 376 , मे अनुसरण किया ।

Craies on statute Law सांतवा संस्करण, पृष्ठ 83-85; न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, संदर्भित ।

1.3 दोषमुक्ति जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है, स्पष्ट रुप से असंवहनीय हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के समर्थन में अन्य बिंन्दुओं का आग्रह किया गया था लेकिन केवल अधिनियम की धारा-50 का पालन न करने के आधार पर अपील की अनुमति दी गयी थी चुनौती के अन्य आधारो की जांच नही की । उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 50 के कथित गैर-अनुपालन के अलावा अन्य आधारों पर अपील पर नए सीरे से सुनवाई करेगा, जिसका मामलें के तथ्यो पर कोई प्रभाव नही होगा। [पैरा18] [968- ए, बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 248/2001

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 14.10.1999 से आपराधिक अपील संख्या 263- एस. बी./1988 (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंढीगढ) रुपांश पुरोहित, राजीव और' ', टी.वी. जॉर्ज- अपीलार्थी की ओर से देबाशीष मिश्रा – प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे.1. द्वारा दिया गया था । इस अपील मे फैसले की चुनोती दी गई है जिसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 की धारा 18 के तहत दंडनीय अपराध मे दस साल के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा अदम अदायगी जुर्माने के उपबंध सहित दी गई थी।

2. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरी करने का निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नही किया गया था।

3. संक्षेप मे पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार है-

"अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 01.04.1987 मे रोहतक मे उप- निरीक्षक और दो सहायक उप- निरीक्षक और चार सिपाहियो का गश्ती दल मौजूद था । सुबह लगभग 5.10 बजे हरियाणा रोडवेज की एक बस दिल्ली से आयी ओर गश्ती दल ने उसे रोक दिया। अभियुक्त प्रत्यर्थी सुरेश भी बस मे अटैची कैस के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों में से एक था । पुलिस उप-निरीक्षक ने आरोपी के हाथों से अटैची लेकर कैस की तलाशी ली । जब अटैची कैस की तलाशी ली गई, तो प्लाई – लकडी बना एक झूठा तल टूटा हुआ था और उसके नीचे अफीम से भरा एक प्लास्टिक का थैला था और उसे पुलिस ने बरामद किया था। इसमे से 10 ग्राम अफीम को नमूने के रुप मे अलग किया गया ओर उसका व शेष माल के पार्सल तैयार किये गये और आर. के. शिलालेख वाली मुहर के साथ सील कर दिये गये ओर उसी के आधार पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन मे एक

रुक्का भेजा गया। जांच शुरु की गई और जांच पूरी होने के बाद एक आरोप पत्र दायर किया गया।"

4. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहो को परीक्षित करवाया ।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बन्द करने के बाद, आरोपी को दण्ड प्रक्रियां संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सहिंता) की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया और बचाव मे आरोपी ने किसी भी गवाह को परीक्षित नही करवाया। हालांकि उसने निर्दोषिता और मिथ्या आरोप का अभिकथन किया ।

6. अभिलेख पर के साक्ष्य पर विचार कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को अधिनियम की धारा 18 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना की सजा अदम अदायगी जुर्माना 2 वर्ष के कठोर कारावास सहित सुनाई। अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे ऊपर उल्लिखित किया गया है और दोषसिद्ध को खारिज कर दिया गया ।

7. अपील के समर्थन मे, अपीलार्थी- राज्य के विद्वान वकील ने कथन किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय के कई फैसलो को देखते हुए असवहनिय है, जिनमें यह विचार रखा गया है कि

अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्तिगत तलाशी से संबंधित है, न कि आरोपी द्वारा ले जाए गए थैलों या कंटेनरों से।

8. पत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नही आया।

9. विवाद अधिनियम की धारा 50 और उसके आस पास कायम रहा जिसे इस प्रकार पढा गया। प्रासंगिक पर वे शर्ते जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जायेगीः

"(1) जब धारा 42 के तहत समयक रुप से प्राधिकृत धारा 41, धारा 42, धारा 43 के प्रावधानो के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब वह ऐसा व्यक्ति होना चाहता है तो बिना किसी अवाश्यक देरी धारा 42 मे उल्लेखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जावेगा।

(2) यदि ऐसी मांग की जाती है. तो अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकता है वह उसे उपधारा (1) मे निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नही ले जावे ।

(3) ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नही पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत उन्मोचित कर देगा लेकिन अन्यक्षा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जावे।

(4) किसी भी महिला की तलाशी महिला से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नही ली जायेगी।

10. जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) में आने वाले " किसी व्यक्ति की तलाशी शब्दों का क्या अर्थ है अभियुक्त के विद्धान वकील ने कथन किया है कि "धारा 50 मे आने वाले शब्द व्यक्ति के दायरे मे कोई भी थैला, ब्रीफकेस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र आदि शामिल होगा, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है और ऐसे थैले, ब्रीफकैस, वस्तु या पात्र आदि की तलाशी लेते समय धारा 50 के प्रावधानो का सख्ती से पालन करना होगा। दूसरी ओर, राज्य के विद्धान वकील ने कथन किया है कि इस तरह के विस्तारित अर्ध देने के लिए कोई वारण्ट नही है ओर "व्यक्ति शब्द का अर्थ केवल व्यक्ति स्वयं होगा,न कि कोई बैग, ब्रीफकेस, वस्तु या कंटेनर, आदि, जिसे वह ले जा रहा है ।

11. अधिनियम मे "व्यक्ति शब्द को परिभाषित नही किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (XX1X) मे कहा गया है कि उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमे प्रयुक्त है और जो परिभाषित नही है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहित मे परिभाषित हैं, उनके अर्थ वही होंगे जो सहिंता मे है। हालांकि, सहिंता" "

2 (म) अंकन है कि उन शब्दो ओर पदो के, जो इसमें प्रयुक्त है ओर

परिभाषित नही है, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता (1860) मे परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस संहिता मे है। भारतीय दंड सहिता की धारा 11 में कहा गया है कि "व्यक्ति शब्द मे कोई भी कंपनी या संघ, या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं । "व्यक्ति शब्द की इसी तरह की भाषा सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 3 (42) में दी गई है। इसिलिए, ये परिभाषाएँ विवाद को हल करने मे कोई सहायता नही करती है।

12. कानूनों की व्याख्या के बुनियादी सिद्धान्तो में से एक है कि – शब्दों के सरल, शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुसार निकालें । यदि वह किसी वक्त आशय या घोषित उदेश्य के विपरित या उससे असंगत है या यदि इसमें कोई बेतुकापन, प्रतिकुलता या विसंगति है तो जहां तक ऐसी असुविधा से बचने के लिये व्याकरणिक अर्थ को संशोधित,विस्तारित या संक्षिप्त किया जाना चाहिए । लेकिन इससे आगे नही । यह दिखाने की जिम्मेदारी कि शब्दों का मतलब वह नही है जो व कहते है, बहुत हद तक उस पक्षकार पर है जो आरोप लगाती है। उसे कुछ ऐसा प्रकट करना चाहिए जो स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि व्याकरणिक सरचंना अधिनियम के ईरादे के प्रतिकूल होगी या कुछ स्पष्ट बेतुकेपन की ओर ले जायेगी। (Craies on statute Law सांतवा संस्करण, पृष्ठ 83-85;) न्यायमूर्ती जी.पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतो के प्रसिद्ध ग्रन्थ मे विद्वान लेखक सिंह ने वही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कानून के शब्दो को पहले उनके प्राकृतिक,

सामान्य, लोकप्रिय अर्थो मे और वाक्यांशो और वाक्यों को उनके व्याकरणीय अर्थो मे समझा जाता है। जब तक की यह किसी बातुकेपन की ओर न ले जाए या जब तक कि कानून के संदर्भ मे या उद्देश्य मे इसके विपरित सुझाव देने के लिये कुछ ना हो। (देखे अध्याय- शाब्दिक निर्माण या नियम – पृष्ठ – नौवां संस्करण।)

इस न्यायालय ने शुरु से ही इस सिद्धान्त का पालन किया है। जुगल किशोर सराफ बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर (1955) एस. सी. 376 मे एस. आर. दास, जे. ने कहाः-

> " कानूनो के निर्माण का मुख्य नियम कानून को शाब्दिक रुप से पढाना है अथार्त, विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को उनका सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ देना । अगर, हालांकि, इस तरह पढना बैतुकेपन की ओर ले जाता है और ऐसा शब्द दूसरे अर्थ के लिये अति संवैदनशील है तो न्यायालय से अपना सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यकल्पिक अर्थान्तनयन संभव नही है तो न्यायालय को शाब्दिक "व्याख्या के सामान्य नियम को अपनाना चाहिए ।"

13. बाद के कई निर्णयो ने इसी दिशा का अनुसरण किया है। इसलिए,"व्यक्ति शब्द का सही अर्थ निर्धारित करने के लिए शब्दकोंसो को देखना आवश्यक हो जाता है।

14. एक थैला, ब्रीफकैस या ऐसी कोई वस्तु या पात्र, आदि किन्ही भी परिस्थितियों मे मनुष्य के शरीर के रुप मे नही माना जा सकता है। उन्हे अलग नाम दिया गया है और उनकी पहचान की जा सकती है। उन्हे उपरी तौर पर मनुष्य के शरीर का हिस्सा नही माना जा सकता है। एक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, व अलग-अलग आकार, आयाम या वजन के के किसी भी संख्या मे बैग, एक ब्रीफकैस, एक सूटकैस, एक टीन बॉक्स, एक थैला, एक झोला, एक गटरी, एक होल्डल, एक कार्टन आदि वस्तुओ ले जा सकता है। हालांकि, उन्हे ले जाते समय या उनके साथ चलते समय कुछ अतिरिक्त प्रयास या उर्जा की आवश्यक्ता होगी। उन्हे या तो हाथ से ले जाना होगा या कंधे या पीठ पर लटका लेना होगा या फिर सिर पर रखा जाता है कि इसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि कैसे ले जाया गया था इसिलिये, इन सामानो को अधिनियम की धारा 50 मे आने वाले "व्यक्ति शब्द के दायरे मे शामिल करना संभव नही है।

15. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, [1999] 6 एस.सी.सी. 172 मे अधिनियम की धारा 50 के दायरे और परिधीकी जांच की गई थी और रिपोर्ट मे पैरा 12 को निचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

"12, इसके सादे पढने पर धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले, जो किसी परिसर आदि की तलाशी से अलग है, मे काम आयेगी। हालांकि, यदि प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 42 मे वर्णित किसी

पूर्व जानकारी के बिना किसी अपराध या संदिग्ध अपराध मे तलासी लेता है ओर जांच के सामान्य क्रम के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करता है ओर उसके पुरा होने पर तलासी मे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद करता है तो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताऐं आकर्षित नही होती है।

16. पीठ ने अपने निश्कर्ष को रिपोर्ट के पैरा 57 मे दर्ज किया ओर उप पैरा (1),(2),(3) नीचे पुनः प्रस्तुत किये जा रहे है।

"57. उपरोक्त तर्क ओर चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैः

कि जब एक प्राधिकृत अधिकारी या सम्यक रुप से अधिकृत अधिकारी पूर्व सूचना पर किसी व्यक्ति की तलासी लेना वाला है तो यह अनिवार्य है कि धारा 50 की उपधारा (1) के तहत संबंधित व्यक्ति को तलाशी लेने के लिये निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रटे के पास ले जाने की उसके अधिकार के बारे मे सुचित करेगा, हालांकि ऐसी जानकारी लिखित रुप मे देना आवश्यक नही है।

(1) कि संबंधित व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेने के उसके अधिकार के अस्तित्व के बारें मे सूचित करने मे भी विफलता अभियुक्त के प्रति पुर्वाग्रह पैदा करेगी।

(2) कि एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना पर की गई तलाशी, जिसमे व्यक्ति को उसमे अधिकार की यदि वह चाहता है तो तलाशी के लिये राजपत्रित अधिकारी ओर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जावेगा। ओर ऐसे मामलो मे जहां वह ऐसा चाहता है, तलाशी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिये जाने मे विफल रहने से विचारण दुषित नही होगा। परन्तु अवैध वस्तु की बरामदगी ओर दोष सिद्धि को व अभियुक्त की सजा को दूषित करेगा जहां दोषसिद्ध अभियुक्त से अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानो का उल्लेख करते हुये की गई तलाशी के दौरान उसके पास से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दर्ज की गई है।

(6) कि उस संदर्भ मे जिसमे अधिनियम की धारा 50 के अधीन तलाशी किये जा रहे व्यक्ति के लाभ के लिये संरक्षण का प्रावधान किया गया है पर हम कोई राय व्यक्त नही दे रहे है। धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य या निर्देशक परन्तु व्यक्ति को धारा 50 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले अपने अधिकार के संबंध मे सुचित करने मे विफलता प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी ओर अभियुक्त की दोषसिद्धी ओर सजा विधी की दृष्टि मे बुरा व असहवनिय बनाता है।

17. इन पहलुओ पर हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार (2005) 4 एससीसी 350 मे प्रकाश डाला गया है।

18. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय के मध्यनजर उच्च न्यायालयो द्वारा निर्णित दोषमुक्ति असंवहनीय है। हालांकि हमारा मत है कि उच्च न्यायालय मे अपील के समर्थन मे अन्य बिन्दुओ पर आग्रह किया गया था, परन्तु उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 50 की अपालना के आधार पर अभियुक्त द्वारा दायर अपील को अनुमति दी थी अपील के अन्य आधारो का परिक्षण नही किया गया। इसिलिए हम इस मामले को उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 50 की अपालना से भिन्न आधारों, जो ऊपर बताये अनुसार मामले के तथ्यो पर लागु नही किये गये है पर नये सिरे से सुनने हेतु लौटाते है।

19. उपरोक्त सीमा तक अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।